



जनपद शामली पुलिस



--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति

दिनांक 06.04.2021

थाना कोतवाली शामली

थाना कोतवाली शामली एवं एसओजी की संयुक्त कार्यवाही में अवैध शस्त्र फैक्टरी का भंडाफोडा छापेमारी कर भारी मात्रा में बने तमंचे, अधबने तमंचे, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद। अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 06.04.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार आगामी पंचायत चुनावों को शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे अवैध शस्त्र की बरामदगी/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली एवं एसओजी द्वारा अवैध शस्त्र फैक्टरी संचालन की सूचना पर संयुक्त कार्यवाही में कार्यवाही करते हुये आद्योगिक क्षेत्र से अवैध शस्त्र बनाते 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए अवैध शस्त्र फैक्टरी का अनावरण किये जाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मौके से भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अवैध फैक्ट्री से बन रहे अवैध हथियारों का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में अशांति फैलाने या अपराध करने में किया जा सकता था जिसकी रोकथाम इस कार्यवाही से की गई है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं और मेरे साथी देशी तमंचों का निर्माण कर आस-पास के क्षेत्रों में बेचा जाता है। इसके एक और फरार साथी अभियुक्त की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जायेगा। जिनको अवैध हथियार बेचे गये हैं उनका भी पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. महबूब पुत्र मुन्ना निवासी मोहल्ला तलाही थाना झिंझाना शामली जनपद शामली।

नाम व पता फरार अभियुक्त:-

1. वकील पुत्र नामालूम निवासी मौहम्मदपुर राई थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1) अवैध 06 तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर।
- 2) अवैध 08 तमंचे मय 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 3) 05 अधबने तमंचे (तीन 12 बोर, दो 315 बोर)।
- 4) 14 नाल (12 नाल 12 बोर, 02 नाल 315 बोर)।
- 5) 08 बॉडी (12 बोर)।
- 6) रेती, ग्राइण्डर, हथौडा, जमुड़, बर्मे, छेनी, प्लास, पेचकस, ड्रिल मशीन, आरी ब्लैड, ड्रिल पिन, स्प्रिंग, फायरिंग पिन, बैल्लिडिंग मशीन टॉर्च, रेगमार, ट्रेगर, हेमर, हेमर लकड़ी के गुटके, छेनी, तमंचा बाडी बनाने के लोहे के पीस, पाना, स्कू, पत्ती आदि अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मु0अ0सं0 754/18 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

2. मु0अ0सं0 760/18 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामिली ।
3. मु0अ0सं0 92/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामिली ।
4. मु0अ0सं0 280/19 धारा 302 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामिली ।
5. मु0अ0सं0 281/19 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामिली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. व0उ0नि0 श्री सत्यनारायण दहिया थाना कोतवाली शामिली जनपद शामिली ।
2. उ0नि0 जयकिशोर थाना कोतवाली शामिली जनपद शामिली ।
3. उ0नि0 श्री विरेन्द्र कसाना प्रभारी एसओजी शामिली ।
4. है0का0 दुर्वेश डवास एसओजी शामिली ।
5. का0 विकास कुमार एसओजी शामिली ।
6. का0 राजीव कुमार थाना कोतवाली शामिली जनपद शामिली ।
7. का0 ज्योति प्रकाश थाना कोतवाली शामिली जनपद शामिली ।
8. का0 राहुल कुमार थाना कोतवाली शामिली जनपद शामिली ।
9. का0 अनुज कुमार थाना कोतवाली शामिली जनपद शामिली ।



थाना कैराना

थाना कैराना पुलिस द्वारा 03 पशु तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 250 किलो ग्राम प्रतिबन्धित पशु मांस, पशु कटान के उपकरण एवं तस्करी में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद:-

दिनांक 05.04.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार चलाये जा रहे पशुओं के अवैध कटान की रोकथाम के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना पर झारखेड़ी-ऊंचागाँव मार्ग से 03 पशु तस्करों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। मौके से 250 किलो ग्राम प्रतिबन्धित पशु मांस एवं पशु कटान करने के उपकरण एवं तस्करी में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल व 01 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. जिशान पुत्र शमसाद निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द रते वाला थाना कैराना जनपद शामली।
2. आसिफ पुत्र अनीस निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली।
3. अमजद उर्फ कालू पुत्र अनीस निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जीशान उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 434/20 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम, 11 पशुकूरता अधि0 थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

1. प्रतिबन्धित पशु मांस 250 किलो ग्राम।
2. पशु कटान करने के उपकरण (03 छुरी, कुल्हाड़ी, 04 बड़े रस्से आदि)।
3. तस्करी में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल (01 चोरी की मोटरसाइकिल रंग काला बिना नम्बर, चैसिस- MBLHA10EZB9FO, इंजिन-0415M26434B व 01 मो0सा0 नं0 UP-19D-0186)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राहुल कादियान थाना कैराना जनपद शामली।
2. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना कैराना जनपद शामली।
3. है0का0 सुनील कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
4. का0 मनोज कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
5. का0 संदीप थाना कैराना जनपद शामली।
6. का0 पवन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।



थाना कैराना पुलिस द्वारा शराब तस्करी गिरफ्तार, कब्जे से 40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का, 10 लीटर रेक्टिफाइड एवं शराब तस्करी में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी बरामद:-

आज दिनांक 06.04.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार आगामी पंचायत चुनावों को शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे अवैध शराब की निर्माण/बरामदगी/तस्करी एवं इसमें लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना पर यमुना ब्रिज से 01 अभियुक्त को 40 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा मार्का, 10 लीटर रेक्टिफाइड शराब एवं तस्करी में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी नं0 UP-11AT-8508 सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के 03 साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। जिनकी गिरफ्तारी हेतु थाना कैराना पुलिस द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उक्त बरामदा शराब को पानीपत हरियाणा से खरीदकर ग्राम जहांपुरा में बेचने हेतु ले जा रहे थे।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. नदीम पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम जहांपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 40 पेटी अंग्रेजी शराब (20 पेटी जुवली हरियाणा मार्का, 20 पेटी नाइट ब्लू हरियाणा मार्का)।

2. अवैध 10 लीटर रेक्टिफाइड शराब।

3. शराब तस्करी में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी नम्बर UP-11AT-8508

नाम व पता फरार अभियुक्तगण:-

1. अमजद पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम जहांपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

2. रिजवान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम जहांपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

3. नीरज पुत्र विजेन्द्र निवासी मौहल्ला दयानन्दनगर थाना कोतवाली शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र थाना कैराना जनपद शामली।

2. है0का0 अरुण थाना कैराना जनपद शामली।

3. का0 नितेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4. का0 ललित थाना कैराना जनपद शामली।

5. का0 अमित थाना कैराना जनपद शामली।



थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा ग्राम इस्लामपुर घसौली विवाद मामले से सम्बन्धित मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल अवैध हथियार बरामद:-

दिनांक 30.03.2021 को ग्राम इस्लामपुर घसौली थानाक्षेत्र कांधला में दो पक्षों में हुए विवाद एवं मारपीट की घटना में 02 महिलाओं गजना व ललतेश की मृत्यु होने के संबंध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। दिनांक 31.03.2021 को थाना कांधला पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों उषा, बबीता, भोला उर्फ सुधीर व सतपाल को तथा दिनांक 03.04.2021 को संदीप, सूरज, विकास व करण को गिरफ्तार कर जेल भेजा चुका है। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में संलिप्त शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना कांधला पुलिस को निर्देशित किया गया, जिनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार सूचना संकलित कर दबिश की कार्यवाही की जा रही थी।

इस क्रम में आज दिनांक 06.04.2021 को थाना कांधला पुलिस द्वारा सूचना पर नाला-घसौली मार्ग से उक्त घटना में शामिल मुख्य आरोपी प्रमोद कुमार को आलाकत्ल अवैध पोनिया मय 02 जिन्दा/ 01 खोखा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के संबंध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. प्रमोद पुत्र रविन्द्र निवासी इस्लामपुर घसौली थाना कांधला जनपद शामिल।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मु0अ0सं0 144/21 धारा 147,148,149,302,307,504,34 भादवि थाना कांधला जनपद शामिल।

बरमदगी का विवरण:-

1. आलाकत्ल अवैध पोनिया मय 02 जिन्दा/ 01 खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामिल।
2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना कांधला जनपद शामिल।
3. है0का0 अजीत सिंह थाना कांधला जनपद शामिल।
4. का0 ललित शर्मा थाना कांधला जनपद शामिल।



थाना झिंझाना

थाना झिंझाना एवं स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में अहमदगढ के जंगल में छापेमारी कर अवैध शस्त्र फैक्टरी का किया खुलासा, 01 अभियुक्त गिरफ्तार; भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद ।

आज दिनांक 06.04.2021 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री सुकीर्ति माधव के आदेशानुसार आगामी पंचायत चुनावों को शांति पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत चलाए जा रहे अवैध शस्त्रों की बरामदगी/तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना एवं स्वाट टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्टरी संचालन की सूचना पर संयुक्त कार्यवाही में कार्यवाही करते हुये अहमदगढ के जंगल में चलाई जा रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री पर छापेमारी कर 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए अवैध शस्त्र फैक्टरी का अनावरण किये जाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मौके से भारी मात्रा में बने-अधबने तमंचे, कारतूस, शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अवैध फैक्ट्री से बन रहे अवैध हथियारों का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में अशांति फैलाने या अपराध करने में किया जा सकता था जिसकी रोकथाम इस कार्यवाही से की गई है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह और उसका साथी देशी तमंचों का निर्माण कर आस-पास के क्षेत्रों में बेचते हैं। इसके एक और फरार साथी अभियुक्त की तलाश एवं गिरफ्तारी हेतु थाना झिंझाना पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा। इसके अलावा जिन लोगों को अवैध हथियार बेचे गये हैं उनका भी पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. जावेद उर्फ काला पुत्र उमरदीन उर्फ मूछमन्त्री निवासी मौ0 आलकला कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

नाम व पता फरार अभियुक्त:-

1. लड्डन सिंह पुत्र नामालूम निवासी करनाल हरियाणा।

बरामदगी का विवरण:-

- 1) अवैध 09 तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर ।
- 2) अवैध 02 तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।
- 3) अवैध 02 देशी बन्दूक 12 बोर ।
- 4) 12 नाल (06 नाल 12 बोर, 06 नाल 315 बोर) ।
- 5) रेती, ग्राइण्डर मशीन मय 02 ब्लैड, बड़ा ग्राइण्डर, बैल्लिंग मशीन मय 03 राड, हथौडा, जमुड़, बर्मे, छैनी,प्लास, पेचकस, ड्रिल मशीन, आरी ब्लैड, ड्रिल पिन, स्प्रिंग, फायरिंग पिन, बैल्लिंग मशीन टॉर्च, रेगमार, ट्रेगर, हेमर, हेमर लकडी के गुटके, छैनी, तमंचा बाडी बनाने के लोहे के पीस, पाना, स्कू, पत्ती, 02 रेती, बक्शा आदि अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण ।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. मु0अ0सं0 426/11 धारा 376, 506 भादवि थाना कैराना जनपद शामिली ।
2. मु0अ0सं0 192/12 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कैराना जनपद शामिली ।
3. मु0अ0सं0 241/12 धारा 3 यू0पी गुण्डा अधिनियम थाना कैराना जनपद शामिली ।
4. मु0अ0सं0 142/12 धारा 382 भादवि थाना कैराना जनपद शामिली ।
5. मु0अ0सं0 144/12 धारा 398, 401 भादवि थाना कैराना जनपद शामिली ।
6. मु0अ0सं0 748/15 धारा 395, 412 भादवि थाना कैराना जनपद शामिली ।
7. मु0अ0सं0 860/15 धारा 395, 412 भादवि थाना कैराना जनपद शामिली ।
8. मु0अ0सं0 12/16 धारा 302,201, 34 भादवि थाना कैराना जनपद शामिली ।
9. मु0अ0सं0 67/16 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना कैराना जनपद शामिली ।
10. मु0अ0सं0 391/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कैराना जनपद शामिली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र थाना झिंझना जनपद शामिली ।
2. है0का0 प्रवीन कुमार स्वाट टीम शामिली ।
3. है0का0 विकास कुमार स्वाट टीम शामिली ।
4. का0 अंशुल कुमार स्वाट टीम शामिली ।
5. है0का0 शहजाद जैदी थाना झिंझना जनपद शामिली ।
6. का0 सचिन कुमार थाना झिंझना जनपद शामिली ।
7. का0 दीपान्शु थाना झिंझना जनपद शामिली ।
8. का0 गौरव कुमार थाना झिंझना जनपद शामिली ।
9. का0 आलोक थाना झिंझना जनपद शामिली ।
10. का0 इरशाद अली थाना झिंझना जनपद शामिली ।

